भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2756

जिसका उत्तर दिनांक 10.03.2021 को दिया जाना है

कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र

2756. श्री टी.आर. बालू :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दो और अधिक रिएक्टरों अर्थात् पांचवे और छठे रिएक्टर पर निर्माण कार्य शीघ्र शुरु होने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्षमता निर्माण संबंधी समय, ठेकेदारों और ऐसी अति जोखिमपूर्ण परियोजनाओं के डिजाइनिंग और निर्माण में उनकी विशेषज्ञता और अनुभव से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मौजूदा और नए रिएक्टरों को चालू करने से परमाणु ऊर्जा उत्पादन की कुल क्षमता 6000 मेगावॉट हो जाएगी और जहां तक हो सके मनुष्य के पर्यावरण और लोगों की जान के प्रति इसके द्वारा पेश किए गए बड़े जोखिम को देखते हुए एक स्थान पर विशाल परमाणु ईंधन द्वारा संचालित ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने की सलाह कहाँ तक उचित है; और

(घ) क्या इस संबंध में पर्यावरण सुरक्षा कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुसार विस्तारपूर्वक जोखिम और प्रभाव संबंधी मूल्यांकन किए गए हैं यदि हां, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) जी, हां ।

(ख) कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना (केकेएनपीपी - 5 तथा 6) की यूनिट 5 तथा 6 प्रत्येक 1000 MW की होगी । कंक्रीट की पहली भराई के बाद से इन यूनिटों के क्रमशः 66 और 75 माह में पूरा होने की आशा है । परियोजना में विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए समान प्रकार के जटिल कार्यों में अनुभव वाले ठेकेदारों का चयन, सख्त पूर्व-अर्हक मानदण्ड अपनाते हुए सावधानीपूर्वक किया जाता है ।

(ग) पूर्ण रूप से रिएक्टरों और स्थल की सुरक्षा का मूल्यांकन न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) और नियामक प्राधिकरण परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्वारा किया जाता है । रिएक्टरों की स्थापना और प्रचालन एईआरबी के विभिन्न क्लियरेन्स के अन्तर्गत किया जाता है । इस प्रकार स्थल पर 6 रिएक्टरों के प्रचालन से पर्यावरण और लोगों को खतरा नहीं होगा ।

(घ) जी, हां । संरक्षा दृष्टि से चरण-वार नियामक अनुमति, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद से प्राप्त की जाती है । परियोजना के लिए पर्यावरणीय अनुमति पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और जन-सुनवाई सहित निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त की गई है ।

* * * * *